आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956

का0नि0आ0 1973- संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति एतद् द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) यथापेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं पुष्ट किए गए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956[*]
(12 दिसम्बर, 2004 तक संशोधित रूप में)

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) ये नियम आवास ओर टेलीफोन सूविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 कहलायेंगे।

(2) ये नियम अप्रैल, 1955 के प्रथम दिन को प्रवृत हुए समझे जायेंगे।

2. [1][**सदस्यों को आवास-सुविधा आदि की सूविधाएं**-(1) प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल तक फ्लैट के रूप में [1क][अनुज्ञप्ति फीस] के सदांय के बिना आवास सुविधा का हकदार होगा:

[1ख][परन्तु यह कि जहां सदस्य को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप में आवास सुविधा आबंटित की जाती है, वहां यदि ऐसी आवास सुविधा का हकदार है तो वह सम्पूर्ण सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा।]

[1ग][परन्तु यह और कि कोई सदस्य, रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे निर्वाचित घोषित किए जाने के ठीक पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) के उपबंधे के अधीन ऐसी घोषणा की राजपत्र में अधिसूचना से पूर्व

---

[*] दिनांक 8 मई, 1956 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3(सा0 का0 नि0 1973) में प्रकाशित ।

[1] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 13 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1क] दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ख] दिनांक 13 मई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 453 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ग] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701 (अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

दिल्ली आता है तो उसे दिल्ली में उसके पहुंचने की तारीख से उसे, यथास्थिति, फ्लैट या बांगले के रूप में सरकारी आवास आवंटित किए जाने तक मार्गास्थ आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।]

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "फ्लैट" के अन्तर्गत होस्टल वास-सुविधा है।]

[1घ][(2) प्रत्येक सदस्य, उपनियम, (1) के अधीन उसे आंबटित किसी वास-सुविधा की बाबत या दिल्ली में ऐसी किसी निजी वास सुविधा की बाबत जिसमें वह निवास कर रहा है, में जल और विद्युत प्रदाय के लिए प्रभारों का संदाय किए बिना प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को आरम्भ होने वाले वर्ष में विद्युत की प्रतिवर्ष अधिकतम [1ङ]{50,000} यूनिट (लाईट/पावर मीटर या एक साथ रखे गये प्रत्येक के [1च]{25,000} यूनिट) और [1छ]{4000} किलोलीटर प्रतिवर्ष जल का प्रभार मुफ्त उपभोग करने का हकदार होगा:

परन्तु लाइट मीटर पर मापित [1ज]{50,000} यूनिट तक प्रभार का संदाय किए बिना प्रतिवर्ष विद्युत का प्रदाय उन्हीं संसद सदस्यों को किया जा सकेगा, जिनके निवास में पावर मीटर संस्थापित नहीं है।]

[1जक]"परन्तु यह और कि यदि पति और पत्नी, दोनों, संसद के किसी या उसी सदन के सदस्य हैं और एक ही वास-सुविधा में निवास कर रहें हैं तो इस उपनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय यूनिटों में विद्युत और किलोलीटरों में जल, पृथक रूप से संगणित होंगे:

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य, किसी वर्ष में इस उप नियम के अधीन यथा अनुज्ञेय विद्युत के यूनिटों और किलालीटरों में जल का उपभोग नहीं करता है वहां, विद्युत के यूनिटों का और किलोलीटरों मे जल का अतिशेष, उसके स्थान के रिक्त हाने तक, पश्चात्वर्ती वर्षों में अग्रनीत होगा:

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य, किसी विशिष्ट वर्ष में उन विद्युत के यूनिटों और किलोलीटरों में जल, जिसके लिए वह हकदार है, से अधिक उपभोग करता है, वहां उसके द्वारा इस प्रकार अधिक उपभोग किए

[1घ] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ङ] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1च] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1छ] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ज] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1जक] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

गए, विद्युत के यूनिट और किलोलीटर में जल, आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध विद्युत के यूनिटों और किलोलीटरों में जल, से समायोजित होंगे:

परन्तु यह भी कि यदि किसी सदस्य का स्थान , त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति के कारण, रिक्त होता है, तो वह उस तारीख से, जिसको उसका स्थान रिक्त हुआ है, एक मास की अधिकतम अवधि के भीतर, इस उप नियम के अधीन उस वर्ष के लिए यथा उपलब्ध, विद्युत के यूनिट और किलोलीटर में जल का अतिशेष, उपभोग करने का हकदार होगा।"

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी वास-सुविधा के संबंध में इसमें किये गये किसी सुधार या वृद्धि के कारण अथवा इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के कारण किराया देय हो वहां इस प्रकार के सुधार वृद्धि या अतिरिक्त सेवा के संबंध में [1झ]{अनुज्ञप्ति फीस} देय सामान्य किराये से 25 प्रतिशत कम होगी।

[1ञ][परन्तु यह कि सदस्यों को क्रमश: टिकाऊ फर्नीचर की बाबत [1अक](60,000) रुपए और गैर-टिकाऊ फर्नीचर की बाबत [1अख](15,000) रुपए की विद्यमान धनीय सीमा के भीतर रहते हुए प्रभार मुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां अतिरिक्त व्यवस्था, जैसे कि स्नानागार और रसोईघर में टाइलें लगाने की मांग हो, वहां यह सुविधा तथा प्रत्येक तीन माह की अवधि के बाद सोफा कवर और पर्दे धुलवाने की सुविधा सदस्य को नि:शुल्क प्राप्त होगी।]

[1ट]परन्तु फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया, किसी सदस्य के निवास पर इस प्रकार उपलब्ध कराए गए फर्नीचर के अवक्षयित मूल्य पर प्रभारित होगा ।

स्पष्टीकरण 1. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "सुधार या वृद्धि" का तात्पर्य अतिरिक्त वास-सुविधा, फर्नीचर, टेबल और पैडस्टल पंखों, टेबल लैम्पों, फ्लौर स्टैण्डर्ड लैम्पों, बायलरों, प्रशीतकों, डैजर्ट कूलरों और वातानुकूलन यूनिटों की व्यवस्था से अभिप्रेत है।

[1झ] दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ञ] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1अक] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1अख] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1ट] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

स्पष्टीकरण 2. "फर्नीचर" से फर्नीचर की ऐसी मदें अभिप्रेत हैं, जो किसी सदस्य को उसे आवंटित निवास-स्थान के लिए मिलती हैं और इसके अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा अपने निवास स्थान में किराए पर ली गई अतिरिक्त मदें भी है।

स्पष्टीकरण 3. "अतिरिक्त सेवा" से अभिप्रेत है:-

(क) सदस्यों के निवास स्थान से संबद्ध झाड़ूकशों, जमादारों तथा कर्मचारियों को झाड़ू उपलब्ध कराना;
(ख) सदस्यों को वास-सुविधाओं पर बिजली के बल्बों के प्रदाय;
(ग) फूलों की क्यारियों का रख-रखाव;
(ध) सदस्यों के फायदे के लिए बनाए गए किसी स्थान (जैसे पूछताछ कार्यालय) का रख-रखाव; और
(ङ) सदस्यों के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सुविधा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 का संशोधन

संसद सदस्यों को आबंटित किए गए निवासों के किराए के निर्धारण में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया क्योंकि यह समझा गया था कि आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् संसद सदस्यों के लिए निर्माण किए गए या संसद सदस्यों के निवासों के पूल में जोडे गये निवास नहीं हैं। वास्तव में नियम 2 में तथा दिए गए निवासों के किराए से संबंधित संसद सदस्यों को अनुज्ञात रियायत ऐसे सदस्यों को भी अनुज्ञात की जाती थी जिनको 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् निर्माण किए गए संसद सदस्यों के पूल में जोड़े गए निवास आवंटित किये गये थे। अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह समझा गया था कि 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् संसद सदस्यों के पूल में जोड़े गए या संसद सदस्यों के पूल के लिए निर्मित किए गए निवासों को अंतर्विष्ट करने के लिए विद्यमान नियम 2 का, समुचित संशोधन किया जाए। यथा अधिसूचित संशोधन वह आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि यह संशोधन संसद सदस्यों के लिए किन्हीं रियायतों को अनुज्ञात करने के प्रयोजनार्थ निवासों को अंतर्विष्ट करने को लिए है, संसद के किसी भी सदस्य पर उक्त संशोधन के जारी करने से और उसे भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावी होना सम्भाव्य नहीं है।

[फा0सं04/1/एम0एस0/72-खंड-I]

[2][**2क. किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात् सरकारी आवास रखे रहना-** यदि किसी सदस्य की उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य उस आवास को [2क][उन्हीं निबंधनों पर जो सदस्य की मृत्यु के

---

[2] दिनांक 29 मई, 1972 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 229 (अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[2क] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 10 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

ठीक पूर्व उसे लागू थे] अधिकतम [2कक]छह मास की अवधि तक रखे रहने के लिए हकदार होंगे जिसके पश्चात् आबंटन रद्द हुआ समझा जाएगा।]

[2ख]परन्तु किसी मृतक सदस्य का परिवार, उसकी मृत्यु की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, उसकी पदावधि के दौरान उसको उस विशिष्ट वर्ष के लिए, निवास पर आबंटित ऐसे सदस्य को उपलब्ध विद्युत के अतिशेष यूनिटों और किलोलीटरों में जल के अतिशेष का उपभोग करने का हकदार होगा।

3. परिवहन व्यय के संबंध में कमी - सदस्य की प्रार्थना पर फर्नीचर की किसी चीज के उसके मकान पर ले जाने पर या वहां से लाने के कारण यदि कोई व्यय हो तो वह भी उस समय लागू नियमों के अधीन उसके संबंध में अन्यथा देय वास्तविक व्यय से 25 प्रतिशत कम होगा।

4. टेलीफोन व्यय के संबंध में छूट. - [3][(1) दिल्ली या नई दिल्ली में सदस्य के मकान पर या उसके कार्यालय में लगाये गये एक टेलीफोन के लगाने और किराये के सम्बन्ध में सदस्य को कोइ व्यय नहीं देना होगा और सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किए गए पहले [4][पचास हजार] स्थानीय कालों के सम्बन्ध में कुछ नहीं देना पड़ेगा।]

[5][(2) टेलीफोन के व्यय के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन मिलने वाली छूट के अतिरिक्त किसी संसदीय समिति का सभापति दिल्ली या नई दिल्ली में उसके मकान पर लगे हुए टेलीफोन से किये गये कालों के लिए कोइ भी व्यय देने से मुक्त होगा।]

स्पष्टीकरण - इस उपनियम में "संसदीय समिति" में विधेयक सम्बन्धी प्रवर या संयुक्त समिति अथवा अन्य कोई तदर्थ समिति शामिल नहीं है।]

[6][(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सदस्य के या तो प्रायिक निवास स्थान पर या उसके द्वारा चुने गये स्थान पर जो -

(i) राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के अन्य सदस्य के मामले में उस राज्य मे स्थित हो जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है [7][अथवा उस राज्य में जहां वहां निवास करता है];

[2कक] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2ख] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] दिनांक 23 दिसम्बर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1526 द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) के रूप में पुनर्सख्यांकित ।

[4] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] दिनांक 23 दिसम्बर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1526 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] दिनांक 5 अगस्त, 1964 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1842 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) लोक सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित हो जहां उसका निर्वाचन क्षेत्र हो [7क][अथवा उस राज्य में हो जिसमें वह रहता हो];

(iii) नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले में यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो;

लगाए गए एक टेलीफोन के लगाने और किराये के संबंध में सदस्य को कोई व्यय नहीं देना होगा और सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किये पहले [8][पचास हजार] स्थानीय कालों के संबंध में कुछ नहीं देना पड़ेगा;

परन्तु सदस्य द्वारा चुना गया स्थान अथवा सभापति या अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदित स्थान विद्यमान टेलीफोन केन्द्र के कार्य में होगा।]

[8क][** ** ** ** ** **]

[8ख] [(4) किसी भी सदस्य द्वारा उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के साथ जोड़े गए ऐसे अतिरिक्त कार्ड के लिए, जो लम्बाई में दस मीटर से अधिक नहीं है या प्लग और साकेट के लिए प्रभार देय नहीं होंगे।]

[8ग] [(5) उपनियम(1) और उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन प्रभारों की बाबत छूट के अतिरिक्त, निम्नलिखित में लगाए गए एक टेलिफोन के लगाए जाने और किराए की बाबत संसद सदस्य द्वारा कोई प्रभार देय नहीं होंगे,-

(क) दिल्ली या नई दिल्ली में उसके निवास-स्थान उसके कार्यालय में, या

---

[7] दिनांक 8 मई 1970 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 830 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7क] दिनांक 8 मई, 1970 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 830 द्वारा अंतःस्थापित ।

[8] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8क] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा लोप किया गया ।

[8ख] दिनांक 12 जुलाई, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1036 द्वारा अंतःस्थापित ।

[8ग] दिनांक 13 मई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 454 (अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) उसके निवास के प्रायिक स्थान पर; या

(ग) अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के भीतर उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर; या

(घ) उस राज्य के भीतर जिसमें वह निवास करता है, इन्टरनेट संयोजकता के प्रयोजनार्थ और कोई संसद सदस्य उस टेलीफोन के किसी वर्ष के दौरान की गई पहली पचास हजार स्थानीय कालों की बाबत कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।]

[8घ] (6)[कोई सदस्य, उसकी प्रार्थना पर, राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के एक मोबाइल फोन संयोजन और उसके निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्य मोबाइल फोन संयोजन का उपभोग करने के लिए हकदार है और ऐसे मोबाइल फोन संयोजनों के रजिस्ट्रीकरण और किराए के संबंध में उसके द्वारा, कोई प्रभार संदेय नहीं होगा:

परंतुक ऐसे मोबाइल फोन संयोजनों से किसी सदस्य द्वारा की गई कालें, उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसको प्राप्त कुल मुफ्त स्थानीय कालों में से समायोजित की जाएंगी:

परंतु यह और कि जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं, उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसको उपलब्ध कुल मुफ्त कालों के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है, यहां वह, इस शर्त के अधीन कि प्राइवेट मोबाइल फोन संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण और किराया प्रभारों को, स्वयं सदस्य के द्वारा वहन किया जाएगा, किसी अन्य प्राइवेट मोबाइल आपरेटर से ऐसी सुविधा का उपभोग कर सकेगा।"

"(7)कोई सदस्य, उपनियम (1), उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन उसको किसी एक टेलीफोन पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड से उपलब्ध ब्राडबैंड सुविधा का उपभोग कर सकेगा, और इस सुविधा के लिए प्रभारों हेतु, एक हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास तक के अधिकतम संदाय को करने के लिए दायी नहीं होगा जो, यथास्थिति, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड को सीधे संदत्त किया जाएगा।"

[9][**4क. टेलीफोन प्रभारों के बारे में अन्य छूट -** (1) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापन सुविधा उपलब्ध है, वहां उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों और नियम 4 के

[8घ] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[9] दिनांक 23 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 718 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलें एक साथ जोड़ी जाएंगी और किसी वर्ष के दौरान तीनों टेलीफोनों से की गई एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलों के बारे में सदस्य किसी संदाय का दायी नहीं होगा।

(2) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापन सुविधा उपलब्ध न हो, वहां कोई सदस्य उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों की बाबत और नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए टेलीफानों में से प्रत्येक से की गई पचास हजार स्थानीय कॉलों के अतिरिक्त और पचास हजार स्थानीय कॉलों की बाबत किसी संदाय के लिए दायी नहीं होगा और ऐसी मुफ्त स्थानीय कॉलो की कुल संख्या किसी वर्ष के दौरान एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलो से अधिक नहीं होगी।

(3) जहां किसी सदस्य को या तो टेलीफोन नहीं दिया गया है या वह नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन टेलीफोन दिए जाने की वांछा नहीं करता है वहां वह नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए प्रत्येक टेलीफोन से की गई अतिरिक्त पचास हजार स्थानीय कॉलों की बाबत किसी संदाय का दायी नहीं होगा और ऐसी मुफ्त स्थानीय कॉलों की कुल संख्या किसी वर्ष के दौरान एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[9क][(3क) कोई सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितने भी टेलीफोनों का उपयोग करने का इस शर्त के अधीन रहते हुए हकदार है कि उक्त टेलीफोन उस नियम में अंतर्विष्ट स्थानों पर उसके नाम में होने चाहिएं, और नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कराए गए तीन टेलीफोनों से भिन्न टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार स्वयं सदस्य द्वारा वहन किए जाएंगे।]

(4) सदस्यों के ट्रंककाल बिल यथापूर्वोक्त एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉल प्रतिवर्ष की सीमा के धनीय समतुल्य के भीतर समायोजित किए जा सकेंगे।

[9ख][(4क) जहां कोई सदस्य 1 अप्रैल, 2002 से या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष में नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों पर उसे उपलब्ध नि:शुल्क टेलींफोन कालों का उपयोग नहीं करता है तो अतिशेष अनप्रयुक्त टेलीफोन काल उसका स्थान रिक्त हाने तक पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए अग्रनीत हो जाएंगे।]

(5) नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए तीनों टेलीफानों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कुल एक लाख पचास हजार मुफ्त स्थानीय कॉलों के योग से ऊपर की गई टेलीफोन कॉलें,

---

[9क] दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701 (अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[9ख] दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

अगले वर्ष के लिए तीनों टेलीफोनों पर अनुज्ञात एक लाख पचास हजार मुफ्त स्थानीय कॉलों में से समायोजित की जा सकेंगी।

[9ख ख][** ** ** ** ** **]

[9ग] [(7) सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों से अधिक किए गए स्थानीय कॉलों के प्रभारों की बाबत संदाय करने का दायी होगा।]

4ख. सदस्य की मृत्यु की दशा में परिवार द्वारा टेलीफोन का रखा जाना -जहां किसी सदस्य की मृत्यु उसके पद की अवधि के दौरान हो जाती है वहां उसका परिवार सदस्य की मृत्यु से दो मास के अधिक अवधि के लिए टेलीफोन रखने और ऐसी सुविधाओं का, जो नियम 4 और 4क के उपबंधों के अधीन उसकी मृत्यु के ठीक पहले उक्त सदस्य को उपलब्ध थी, उपभोग करने का हकदार होगा।

5. कुछ मामलों में नियम लागू नहीं होंगे - किसी सदस्य को सदस्य के रूप में जैसा आवास लेने का हक हैं उससे अधिक अस्थायी अथवा स्थायी रूप में दिये गये किसी आवास के मामले में इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी:

[10][परन्तु सदस्य के निवास के बदलने के लिए दूसरा मकान दिए जाने पर खाली किए जाने वाले मकान तथा अधिकृत किये जाने वाले मकान को उस अवधि के जिसके दौरान दोनों मकानों पर उसका कब्जा हो नियम 2 में विनिर्दिष्ट पर से [10क]{एक निवास स्थान के लिए} [10 ख]{अनुज्ञप्ति फीस} देकर तीन दिन से अनधिक समय तक अपने पास रखने का हक होगा।]

[9ख ख] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744 (ङ) द्वारा लोप किया गया ।

[9ग] दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[10] दिनांक 7 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1227 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10क] दिनांक 28 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10 ख] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 13 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।